



जिलाधिकारी, मुंबई उपनगर जिला का कार्यालय

प्रशासकीय इमारत , 10 वा माला, शासकीय वसाहत, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051
दुरभाष : 022-26510980, 26556799, फॅक्स : 26556805, ई-मेल : collectormsd@gmail.com

क्र.सी./कार्या-7क/एमपीआयडी-7/15 व 8/15/लिलाव
दिनांक : /05/2017

महाराष्ट्र जमाकर्ताओ के (वित्तीय संस्थाओंके) लाभ सम्बन्धित संरक्षण अधिनियम

1999 द्वारा जब्त की गयी सम्पत्ति निलामी बिक्री का नोटीस

जिसतरह से, महाराष्ट्र जमाकर्ताओ के (वित्तीय संस्थाओंके) लाभ सम्बन्धित संरक्षण अधिनियम 1999 की धारा 4 की उपधारा (1), धारा 5, धारा 8 और धारा 12 तहत आर्यरूप टुरिज़्म अँड क्लब रिसार्ट प्रा.लि. और संस्था के अध्यक्ष / संचालक इनके नाम पर है और मा. विशेष न्यायालय मे दाखिल मुकादमा नं. 7/15 और 8/15 इसमें सम्मिलित रहे, और निम्न तालिका क्र.1 में उल्लेख किए गए वाटिका गांव, पटवार क्षेत्र, त. संगानेर, जिला जयपूर, राजस्थान यहाँ की सम्पत्ति जब्त की गई है और ;

जिसतरह से, इस जब्त किए (तालिका 1) सम्पत्ति की निलामी द्वारा बिक्री करने के लिए मा. विशेष न्यायाधीश, एमपीआयडी एव अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश इन्होंने 26/04/2017 को आदेश दिए है।

इसलिए, यह नोटीस दी जाती है की, यह सम्पत्ति **जहाँ है जैसी हैं** उस स्थितीमें उपरोक्त उल्लेख किए पतेपर सक्षम प्राधिकारी एवं उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र.), मुंबई उपनगर जिला इनके तरफ से नियम और शर्तों के आधार पर निलामी द्वारा बिक्री की जाएंगी। जो व्यक्ति, इस सम्पत्ति को खरीदना चाहता है, उसे मात्र रु. 100/- किंमत के निजी आवेदन प्राप्त करके, आवेदन के साथ सम्पत्ति की न्यूनतम किंमत के (उपनिबंधक, संगानेर-1, जयपूर (6) ने निश्चित किए हुए) रकम के 10% रकम के डी.डी. / पे ऑर्डर सक्षम अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र.), जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर, प्रशासकीय इमारत, 10 वी मंजिल, शासकीय वसाहत, बांद्रा (पु.), मुंबई - 400 051 इनके कार्यालय में तारीख 31/05/2017 को सायं 5.00 बजे तक या इसके पहले पहुंचेंगे इस तरीके से भेजना जरूरी है। इस सम्पत्ति की संक्षिप्त जानकारी, आवेदन का नमुना और निलामी की शर्तें और नियम कार्यालयीन समय में मेरे दफ्तर में, और <http://mumbaisuburban.gov.in> इस वेबसाईट मिलेंगे। निर्धारित समय के बाद आनेवाले आवेदन का विचार करने का अधिकार विशेष न्यायालय को रहेगा। पात्र आवेदकों को निलामी की तारीख की अलग से जानकारी दी जाएगी।

तालिका - 1

अनु. नं.	सम्पत्ति का विवरण	जमीन का विवरण	परेशान किंमत रु.
1	<p>वाटिका गांव पटवार क्षेत्र, ता.संगानेर, जि. जयपूर, राजस्थान – कुल 11.50 हेक्टर. 86.015 बिघा</p> <p>1. खेतोनी नं. 39, खसरा नं. 1694, 1696, 1697, 1707, 1708, 1711, 1712, 1714</p> <p>2. खेतोनी नं. 362, खसरा नं. 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1692, 1693, 1695</p> <p>3. खाता संख्या नया – 45, खेती जमीन, अराजी, खसरा नं. 1627, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691 (कुल - 48)</p> <p>4. खेती जमीन, अराजी, खसरा नं. 1612, 1613, 1614, 1625, 1626, 1637, 1638, 1649, 1650, 1651, 1652</p>	<p>अंदाज से रकबा 43 एकड 11.50 हेक्टर जमीन</p> <p>कुल 2.29 हेक्टर</p> <p>कुल 2.26 हेक्टर</p> <p>कुल 11.50 हेक्टर</p> <p>कुल 2.87 हेक्टर</p>	<p>10,59,52,000/-</p>

स्थळ - जिलाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर जिला

तारीख : /05/2017

(जयराम पवार)

सक्षम प्राधिकारी एवं उपजिलाधिकारी (सा.प्र.)

जिलाधिकारी, मुंबई उपनगर जिला

टिपणी : निलामी बिक्री की शर्तें और नियम <http://mumbaisuburban.gov.in>. इस वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

-: निलामी के नियम और शर्तें :-

1. निलामी में भाग लेने वाले को अनामत रक्कम के डी.डी/ पे ऑर्डर (सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंक के) आवेदन के साथ Competent Authority & Dy. Collector (General), Mumbai Suburban District इनके नाम से दाखिल करना पड़ेगा.
2. प्रत्यक्ष निलामी के समय कमसे कम ३ खरीददारों ने बोली लगाने बंधनकारक है। 3 से कम खरीददार हाजिर रहे तो उस दिन निलामी की प्रक्रिया रद्द की जाएगी और निलामी की अगली तारीख मा. न्यायालय के निर्देश अनुसार तय की जाएगी।
3. सफल खरीददार करके जाहीर किए गए पक्षकार को अंतिम बोली की शेष रक्कम निलामी से 60 दिन के अंदर Competent Authority & Dy. Collector (General), Mumbai Suburban District के अकाउंट में जमा करना बंधनकारक रहेगा। इस पूरे रक्कम को खरीददारने जमा करने के बाद सम्पत्ति बिक्री संदर्भ में मा. न्यायालय के आदेश के अनुसार बिक्री प्रमाणपत्र दिया जाएगा। तथा मा. न्यायालय के आदेश के बाद सफल बोली लगाने वाले की शेष रक्कमके डिमांड डाफ्ट / पे ऑर्डर निकली जाएगी।
4. जब्त सम्पत्ति बिक्री के संदर्भ में दस्तावेज करने से पहले / करने के बाद सम्पत्ति का मुद्राक शुल्क और दस्तावेज पंजिकरण शुल्क, हस्तांतरण फी, बदलाव फी तथा अन्य किसी भी प्रकार की सरकारी शुल्क भरने की जिम्मेदारी खरीददार की रहेगी।
5. जब्त के तारीख से सफल बोलीदार को कब्जा देने के तारीख तक जब्त सम्पत्ति पर किसी प्रकारका बकाया रक्कम सफल बोली के रक्कम से भर दी जाएगी। जब्त के तारीख के पहले देय रहा बकाय और कब्जा देने के बाद प्रस्तावित सम्पत्ति का उपरोक्त उल्लेख किए हुए देय रक्कम सफल बोलीदार ने भरना क्रमप्राप्त होगा।
6. 2 बोली में का फर्क 5 लाख से कम नहीं रहेगा इस प्रतिशत बोली लगाना बंधनकारक रहेगा
7. निलामी प्रक्रिया से होनेवाला कुल खर्चा प्राप्त बिक्री में से जमा रकम से घटाया जाएगा।
8. खरीददार करके जाहीर किए हुए पक्षकार शेष पूरी रकम उपरोक्त उल्लेख 60 दिनके अवधि में न भर पाए तो स्थावर सम्पत्ति लेने के लिए इच्छुक नहीं यह गृहित करके जमा रही बयाणा रकम जब्त की जाएगी और वह सम्पत्ति फिरसे निलामीद्वारा बिक्री की जाएगी।
9. उपरोक्त जमा सम्पत्ति यदि कोई इच्छुक खरीददार को देखनी हो तो इस निलामी प्रक्रिया में भाग लेनेवाले को इस कार्यालय के द्वारा प्राधिकृत किए प्रतिनिधियों को हाजिर करके दिखाया जाएगा।

10. उपरोक्त सम्पत्ति इस कार्यालय में उपलब्धी रहे दस्तवेज की परिक्षण या वह चाहिए तो सरकारी नियमों के अनुसार शुल्क लिए जाएँगे।
11. इस निलामी में आवेदक भाग लेने के पहले सरकारी मुल्यांकन के अनुसार 10% बयाणा रक्कम भरना जरूरी है। यह विज्ञापन <http://mumbaisuburban.gov.in> इस संकेतस्थल पर तथा मा. जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर जिला के नोटीस बोर्डपर प्रसारण की गई है।
12. उपरोक्त शर्तें और प्रतिबन्ध में बदलाव करने का या अतिरिक्त शर्तें तय करनेके सभी अधिकारी मा. उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र.), तथा सक्षम अधिकारी इन्होने रखे हुए है।

स्थळ - जिलाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर जिला
तारीख : /05/2017

(जयराम पवार)
सक्षम प्राधिकारी एवं उपजिलाधिकारी (सा.प्र.)
जिलाधिकारी, मुंबई उपनगर जिला